

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/18/

दिनांक:- /05/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय:-**केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरीयों में निरूद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के नालसा अभियान के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी मनोनीत करने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-**जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 6373-6376 दिनांक 05.05.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयानुगत सन्दर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरीयों में निरूद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के नालसा अभियान के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी मनोनीत करने हेतु एक विशेष टीम का गठन कर दिनांक 12.05.18 से 10 दिन के लिये विशेष अभियान चलाकर उक्त गठित कमेटी में मनोरोग चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक को सम्मिलित करते हुए बन्दी महिला के साथ उनके बच्चों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा दिये गये निर्णय की पालना करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/18/ 212

दिनांक:- 9 /05/2018

प्रतिरूपि भिन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, गृह (गुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जिला- सन्ध्याधर।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को संजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें एवं सम्बन्धित को ई-मेल करावें।
3. निजी/आदेश पत्र बली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।